न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 86/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 27.9.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. प्रेमशंकर उर्फ कालू आत्मज धनराज (गलत नाम नाथूलाल) जाति माली निवासी ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

...अपीलाट

बनाम

1. नंदलाल आत्मज रामनाथ
2. रामलाल आत्मज रामनाथ
3. मोहनलाल आत्मज रामनाथ
   जातियान माली निवासी लाखेरी जिला बूंदी।
4. नायब तहसीलदार उप तहसील लाखेरी
5. तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बूंदी (राज0)

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री पंकज दाधीच अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 23.1.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 183/अपील/14 बउनवान प्रेमशंकर उर्फ कालू बनाम नंदलाल अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियिम मे पारित निर्णय दिनांक 11.7.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार लाखेरी द्वारा कृषि भूमि जमाबंदी जोत संख्या 223 की ख0 सं0 1986 रकबा 0.07 है0, ख0 सं0 1987 रकबा 0.11 है0, 1988 रकबा 0.03 है0, 1989 रकबा 0.08 है0, ख0 सं0 1990 रकबा 0.36 है0 किता 5 कुल रकबा 0.65 है0 नन्दलाल, रामलाल,

मोहनलाल, रतनलाल पि0 रामनाथ कौम माली हिस्सा 1/2 एंव गोपाली पुत्री ओंकार माली हिस्सा 1/2 कस्बा लाखेरी तथा जमाबंदी जोत सं0 391 ख0 सं0 1977 रकबा 1.06 है0, ख0 सं0 1982 रकबा 0.08 है0, 1983 रकबा 0.06 है0, 1985 रकबा 0.01 है0 किता 4 रकबा 1.21 है0 महावीर प्रसाद, गिरिराज प्रसाद पि0 सूरजमल मीणा हिस्सा 1/2 एंव गोपाली पुत्री औंकार कौम माली हिस्सा 1/2 कस्बा लाखेरी स्थित भूमि का नामा0 सं0 860 दिनांक 25.4.2014 वसीयतनामा एवं तहसीलदार इन्द्रगढ के आदेश की पालना मे गोपाली पुत्री औकार कौम माली के स्थान पर नन्दलाल पुत्र रामनाथ माली के पक्ष मे तस्दीक किये जाने से अप्रसन्न होकर प्रेमशंकर उर्फ कालू द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर उक्त इन्तकाल विधिवत नही होने से निरस्त करने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी ने प्रकरण तहसीलदार इन्द्रगढ को प्रतिप्रेषित (रिमांड) कर मामले मे अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं0 1 बूंदी के न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर ख0 सं0 1977, 1982, 1983, 1985 वाकै ग्राम लाखेरी के संबध मे अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 860 दिनांक 25.4.2014 आंशिक रूप से निरस्त किये जाने बावत मार्गदर्शन प्राप्त कर तदनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही का दिनांक 11.7.2016 को आदेश पारित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि नायब तहसीलदार लाखेरी द्वारा रेस्पो0 क्रम–1 नंदलाल के पक्ष मे तस्दीक इन्तकाल सं0 860 दिनांक 25.4.2014 विधिवत न होने के कारण निरस्त होने योग्य है अपीलांट को सिविल न्यायालय द्वारा गोदपुत्र घोषित किया जा चुका है पंजीकृत गोदनामे के बारे मे रेस्पो0 क्रम–1 को भली भांति रूप से जानकारी होने के उपरांत भी तथ्य छिपाकर व वाद विचाराधीन होने के उपरांत भी नामा0 सं0 860 दिनांक 25.4.14 वाके ग्राम लाखेरी खुलवाया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एंव न्याय संचिका के प्राप्त तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है क्योंकि अपीलांट ने अपील मेमो मे उल्लेखित तथ्यो को विधिवत एवं कानूनी रूप से प्रमाणित कर दिया था कि अपीलांट गोपालीबाई की खातेदारी की कृषि भूमि ख0 नं0 1986 रकबा 0.07, ख0नं0 1987 रकबा0.11 है0, ख0नं0 1988 रकबा 0.03 है0 ख0 नं0 1989 रकबा 0.08, ख0 नं0 1990 रकबा 0.36 है0 कुल किता 5 रकबा 0.65 है0 नंदलाल, रामलाल, मोहनलाल व रतनलाल पिस0 रामनाथ माली निवासी लाखेरी हिस्सा 1/2 एवं गोपाली हिस्सा 1/2 भी ग्राम लाखेरी तह0 इन्द्रगढ मे स्थित है तथा जोत सं0 391 की कृषि भूमि 1977 रकबा 1.06 है0 ख0 नं0 1982 रकबा 0.08 है0, ख0 नं0 1983 रकबा 0.06 है0 ख0 नं0 1985 रकबा 0.08 है0 कुल किता4 रकबा 1.21 है0 के खातेदार महावीर प्रसाद, गिरिराज प्रसाद पि0 सूरजमल मीणा नि0 लाखेरी हिस्सा 1/2 व गोपाली पुत्री ओंकार हिस्सा 1/2 मे होना स्वीकार किया गया है। गोपालीबाई द्वारा पंजीकृत गोदनामा दिनांक 2.6.97 को उनके सहगोत्री प्रेमशंकर पुत्र धनराज माली निवासी बोरदा के पक्ष मे विधिवत पंजीकृत करवाया गया उक्त दस्तावेज को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पंजीकृत गोदनामे दिनांक 2.6.97 के आधार पर खातेदारी के आधार पर खातेदारी गोपाली की कृषि भूमि का इन्तकाल अपने नाम खुलवाने के लिये कई वर्षो तक राजस्व अधिकारियो को आवेदन क्यों नही किया, उक्त कथन के आधार पर अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1 बूंदी के निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मान्यता नही दी और यह टिप्पणी दी गई कि रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, उसको सही रूप से मान्यता देने मे कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद जो न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1 बूंदी मे विचाराधीन था जिसकी पुष्टि इन्तकाल सं0 884 दिनांक 12.8.14 के निर्णय को मान्यता देते हुये निर्णय पारित किया गया और उक्त इन्तकाल विधिमान्य व सेशन न्यायालय द्वारा निर्णित तथ्यो के आधार पर तस्दीक किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमांण्ड करने का कोई औचित्य नही होने के बावजूद भी उक्त इन्तकाल को मार्गदर्शन हेतु दिनांक 22.11.2013 का निर्णय जो न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1 बूंदी द्वारा जिसकी इजराय की पालना हो चुकी है ऐसी स्थिति मे उक्त निर्णय के बावत मार्गदर्शन प्राप्त करने का कोई औचित्य नही होने के बावजूद भी उक्त प्रकरण को रिमाण्ड करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय इन्तकाल नं0 860 दिनांक 25.4.14 को निरस्त करते हुये माननीय

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1 बूंदी द्वारा पारित निर्णय के आधार पर इन्तकाल नं0 884 दिनांक 12.8.14 वाके ग्राम लाखेरी को अपीलांट के पक्ष मे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट का नाम यथावत रखा जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये बहस मे प्रकट किया कि नामा0 सं0 860 वसीयत के आधार पर ना0 तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा तस्दीक किया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–1 बूंदी द्वारा पारित निर्णय के आधार पर गोदपुत्र होने से मेरे नाम इन्तकाल तस्दीक करना था। ऐसी स्थिति मे प्रथम अपीलीय न्यायालय का जेरअपील रिमांड आदेश गलत है क्योंकि नामा0 मेरे नाम खोलने का आदेश होना था। रेस्पो0 को किसी प्रकार की आपत्ति थी तो अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय की सिविल कोर्ट मे अपील कर चाराजोही करना था उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे इन्तकाल सं0 884 दिनांक 12.8.2014 को अपीलांट के पक्ष मे स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट का नाम यथावत रखा जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि वसीयत के आधार पर दिनांक 25.4.14 को विवादित आराजी का म्यूटेशन मेरे नाम से तस्दीक किया गया। मेरे नाम तस्दीक नामा0 को बिना केन्सिल किये दावे की इजराय मे (बटवारे का दावा) तथ्य छुपाकर लेकर आये है ऐसी स्थिति मे मेरे खिलाफ लागू नही हो सकता। विवादित आराजी का नामा0 सं0 884 दिनांक 12.8.2014 को अपीलांट के नाम खोला गया जिसमे रेस्पो0 को नही सुना गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित कर सही रिमांड किया है। सिविल कोर्ट मे पालना के लिये जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा जेरअपील निर्णय दिनांक 11.7.2016 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यो का विवेचन एवं विश्लेषण कर नामान्तरकरण सं0 860 दिनांक 25.4.2014 जो तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा पारित आदेश की पालना मे तस्दीक किया उस समय परीक्षण न्यायालय के समक्ष माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं. 1 बूंदी के निर्णय दिनांक 22.11.13 की जानकारी नही थी। ऐसे मे मामले मे उक्त निर्णय दिनांक 22.11.13 के तथ्य प्रकट हो जाने के बाद प्रकरण को तहसीलदार इन्द्रगढ को जेरअपील निर्णय दिनांक 11.7.2016 से रिमांड कर आदेशित किया कि मामले मे माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं. 1 बूंदी के न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर ख0 सं0 1977, 1982, 1983, 1985 वाके ग्राम लाखेरी के संबध मे नामा0 सं0 860 दिनांक 25.4.2014 को आंशिक रूप से निरस्त किये जाने बावत मार्गदर्शन प्राप्त कर तदनुसार नये सिरे नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। प्रथम अपीलीय न्यायालय का विवेचित उक्त अभिमत विधिसम्मत होना प्रकट होने से जेरअपील निर्णय दिंनाक 11.7.2016 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइंश प्रतीत नही होती है। परिणामस्वरूप उक्त तथ्यो के आलोक मे अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 23.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा